

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous **2nd** Bail Application No. 4184/2026

Krishan Lal Alias Kishan S/o Mukh Ram, Aged About 35 Years,
Resident Of 7 Ap Ward Number 3 Police Station Rajiyasar Tehsil
Suratgarh District Ganganagar (At Present Lodged In Sub Jail
Pokran)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous **2nd** Bail Application No. 4056/2026

Mahaveer S/o Udaram, Aged About 68 Years, Resident Of Ward
No 01, Village Mundadiya Bada, Police Station Bhadra, District
Hanumangarh (At Present Lodged In Sub Jail Pokaran District
Phalodi)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shoubhag Singh Mr. Vichitra with Mr. Vikash Choudhary
For Respondent(s)	:	Mr. Shriram Chaudhary, PP

**HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI
(Through V.C.)**

Order

20-04-2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण कृष्णलाल उर्फ किशन एवं महावीर की ओर से
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक—**11.03.2025** के
विरुद्ध ये पृथक—पृथक **द्वितीय** जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उन्हें पुलिस थाना—**भणियाणा, जिला जैसलमेर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—**60/2024**, अपराध अन्तर्गत धारा **419, 420, 467, 468, 471, 120 (बी)** भारतीय दण्ड संहिता में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत की गई हैं। उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को मामले में झूठा फंसाया गया है, वे दिनांक 09.12.2025 से अभिरक्षा में हैं। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है। प्रकरण के अन्य सह—अभियुक्तगण सोहनराम एवं मनोज कुमार के जमानत आवेदन पत्र समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में ही दिनांक 25.03.2026 स्वीकार किए गए हैं, प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है, प्रकरण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, अतः प्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया। प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है, प्रकरण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं, प्रकरण के सह—अभियुक्तगण सोहनराम एवं मनोज कुमार के जमानत आवेदन पूर्व में समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं, प्रार्थीगण दिनांक 09.12.2025 से अभिरक्षा में हैं, प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागण द्वारा रखे गए तर्कों, सह—अभियुक्तगण को दी गई जमानत, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, अनुसंधान के दौरान आई साक्ष्य की प्रकृति, प्रार्थीगण की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः ये दोनों **द्वितीय** जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रुपए (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000—25,000/—रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होते रहेंगे तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. कृष्णलाल उर्फ किशन पुत्र श्री मुखरा एवं 2. महावीर पुत्र उदाराम** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J